



Ref. पत्रांक : मु० गृ०/1065/2019

Date: 17-12-2019

सूचना

सत्र 2019-20 के लिए आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास एवं जे०के० महिला छात्रावास में रहने के इच्छुक (बी०ए०एल०एल०बी० एवं पंचवर्षीय एल०एल०बी०), छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रावास आवंटन हेतु काउन्सिलिंग तिथि अधोलिखित विवरणानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	काउन्सिलिंग तिथि	समय	स्थान
1.	20 दिसम्बर 2019	11:00 बजे	जे०के० महिला छात्रावास
3.	20 दिसम्बर 2019	11:00 बजे	आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास

अतः उक्त तिथि एवं समय के अनुसार सम्बन्धित छात्र/छात्रा आवंटन के समय अपने अभिभावक (माता/पिता अथवा सगा बड़ा भाई/बहन) के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। अभिभावक को अपने साथ पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई०डी० इत्यादी) लाना अनिवार्य है। (संलग्नक- छात्रावास प्रवेश नियमावली)

(सूर्यभान प्रसाद)
मुख्य गृहपति

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. माननीय कुलपति जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. संकायाध्यक्ष विधि संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
6. कुलानुशासक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
7. प्रभारी-संगणक केन्द्र, विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर इस सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गृहपति/गृहस्वामिनी कार्यालय।
9. सूचना पट्ट।

(सूर्यभान प्रसाद)
मुख्य गृहपति

Received
17-12-19




Ref. पत्रांक : मु0 गृ0/ /2019

Date: 17-12-2019

छात्रावास प्रवेश नियमावली

1. आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास एवं जे0के0 महिला छात्रावास में उन छात्र/छात्राओं को जिनके आवास की दूरी विश्वविद्यालय परिसर से 30 किमी0 के परिधि के अन्दर है अथवा वाराणसी जिले के हैं उन्हें स्थानीय मानते हुए छात्रावास आवंटित नहीं किया जायेगा।
2. दिव्यांग अभ्यर्थी को उक्त निर्णय से छूट प्रदान है।
3. उन छात्र/छात्राओं को छात्रावास आवंटित नहीं किया जायेगा जिनके विरुद्ध पुलिस/विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कोई वाद/शिकायत लम्बित है।
4. उन छात्र/छात्राओं को भी छात्रावास आवंटन नहीं किया जायेगा जिनका आचरण विगत वर्षों में छात्रावास/विश्वविद्यालय की मर्यादा के प्रतिकूल रहा है।
5. सत्र 2019-20 में छात्रावास आवंटन के समय छात्र/छात्राओं के अभिभावक (माता/पिता) अथवा सगा बड़ा भाई/बहन का रहना अनिवार्य है। साथ ही अभिभावक अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई0डी0 इत्यादी) के साथ छात्रावास आवंटन तिथि के समय उपस्थित होंगे।
6. छात्रावास आवंटन के पश्चात् यदि कोई भी आवासित छात्र/छात्रा अनुशासनहीनता में संलिप्त पाया/पायी जाती है तो ऐसे छात्र/छात्रा से 24 घण्टे के भीतर छात्रावास खाली करवा दिया जायेगा।


(सूर्यभान प्रसाद)
मुख्य गृहपति